रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-30072024-255922
CG-MH-E-30072024-255922

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2024/श्रावण 8, 1946
No. 570] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2024/SHRAVANA 8, 1946

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## अधिसूचना

मुंबई, 29 जुलाई, 2024

## प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024

**सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/196.—**बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,

I. विनियम 21 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(1) अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) और मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (निगमों) [क्लीयरिंग कारपोरेशन] को हर तिमाही में अपनी-अपनी वेबसाइटों पर अपने शेयरहोल्डिंग पैटर्न (शेयरधारिता स्वरूप) की जानकारी देनी होगी, और जो उसी तरह देनी होगी तथा उसी फॉर्मेट में देनी होगी जिस तरह से तथा जिस फॉर्मेट में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों को देनी होती है।"

II. विनियम 29 में, उप-विनियम (2) में, खंड (क) में, शब्दों तथा चिह्नों "और मूल निपटान गारंटी निधि समिति (मेंबर एंड कोर सेटलमेंट गारंटी फंड कमेटी)" के स्थान पर शब्द "समिति" आ जाएगा।

III. अनुसूची-I में, फॉर्म-'क' के संलग्नक के भाग-III में, पैरा 27 हट जाएगा।

IV. अनुसूची-II में,

(i) भाग-छ में, पैरा (1) में,

(क) शब्द, अंक तथा चिह्न "विनियम 19 के उप-विनियम 10 के अनुसार," हट जाएँगे।

(ख) खंड (क) में, शब्दों "के तहत निर्धारित" के स्थान पर, शब्द "में दी हुई" आ जाएँगे।

(ग) खंड (ग) में, शब्दों, अंकों तथा चिह्नों "बोर्ड द्वारा तारीख 1 जनवरी, 2016 को जारी किए गए परिपत्र (सर्कुलर) के अनुसार चलेगा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले दिशानिर्देशों का पालन करेगा" आ जाएँगे।

(ii) भाग-ज में, पैरा-V हट जाएगा।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./339/2024-25]

**पाद टिप्पण :**

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् –

(क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा

(ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(ग) 8 अक्तूबर, 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन2020/32, द्वारा

(घ) 23 मार्च, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा

(ङ) 13 अगस्त, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44, द्वारा

(च) 12 अगस्त, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/93, द्वारा

(छ) 15 नवम्बर, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/104, द्वारा

(ज) 28 फरवरी, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/124, द्वारा

(झ) 24 जुलाई, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/139, द्वारा

(ञ) 22 अगस्त, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/148, द्वारा

(ट) 26 अप्रैल, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/171, द्वारा

(ठ) 10 मई, 2024 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/174, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 29th July, 2024

**SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2024**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/196.**—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely, –

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2024**.**
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018,

I. In regulation 21, sub-regulation (1) shall be substituted with the following sub-regulation, namely,–

"(1) Without prejudice to the provisions of the Act, rules and these regulations, the recognised stock exchange(s) and the recognised clearing corporation(s) shall disclose their shareholding pattern on their respective websites on a quarterly basis as per the requirements and format specified for listed companies in terms of the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015."

II. In regulation 29, in sub-regulation (2), in clause (a), the words "and Core Settlement Guarantee Fund" after the word "Member" and before the words "committee and" shall stand omitted.

III. In Schedule I, in Part III of Annexure to Form A, Paragraph 27 shall stand omitted.

IV. In Schedule II,

(i) in Part G, in paragraph (1),

(a) the words, figures and symbol “In terms of sub-regulation 10 of regulation 19, the” shall be substituted with the word “The”.

(b) in clause (a), the word “the” appearing before the words “these Regulations” shall stand omitted.

(c) in clause (c), the words, figures and symbol “Board circular dated January 01, 2016.” shall be substituted with the words and symbol “guidelines as specified by the Board from time to time.”

(ii) in Part H, Paragraph V shall stand omitted.

BABITHA RAYUDU, EXECUTIVE DIRECTOR

[ADVT.-III/4/Exty./339/2024-25]

**Footnote:**

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.

2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on–

(a) 4th June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.

(b) 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(c) 8th October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.

(d) 23rd March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.

(e) 13th August, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.

(f) 12th August 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/93.

(g) 15th November, 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/104.

(h) 28th February 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/124.

(i) 24th July, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/139.

(j) 22nd August, 2023, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/148.

(k) 26th April, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/171.

(l) 10th May, 2024, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/174.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA